कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रा.वि./स्थानान्तरण /2022/ दिनांक – 12.01.2023 के द्वारा राजेन्द्र कुमार मेघवाल, व्याख्याता–रा.वि.,राउमावि चाण्डासर (211326), बीकानेर ,का स्थानान्तरण राउमावि सामरदा, खाजूवाला जिला बीकानेर (211515), किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध राजेन्द्र कुमार मेघवाल द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय ,जोधपुर में अपील संख्या 1526/2023 राजेन्द्र कुमार मेघवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.02.2023 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा याचिकार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की घरेलू परिस्थितियों के कारण स्थान संशोधित कर पुनः बीकानेर जिले के रिक्त स्थान (1). राउमावि चाण्डासर व (2.)राउमावि शोभासर पर पदस्थापन किए जाने की मांग की है।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 14.07.2022 व राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप–2 विभाग आदेश क्रमांक प.17(30) शिक्षा–2/2021 के क्रम मे बिंदु 5 के अनुसार यदि कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/ दोनों पैरों से दिव्यांग/गंभीर बीमारी(कैन्सर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)/परिवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा है, तब ही कार्मिक को स्थानांतरण में शिथिलता प्रदान की जा सकती है तथा राजस्थान सरकार के संशोधित दिशा–निर्देश दिनांक–14.09.2022 के अनुसार याचिकार्थी का स्थानीय समायोजन ही किया है। अतः स्थानान्तरण में और किसी प्रकार अनुतोष देय नही है।

किसी भी राजपत्रित लोकसेवा के स्थानान्तरण/पदस्थापन के समबन्ध में निर्णय का यह क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने अधीन राजपत्रित लोकसेवक को कब, कहॉ और किस समय स्थानान्तरित करता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य जोगन्द्र सिंह दत्त के प्रकरण में अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन की शक्तियां पूर्णतया नियोजक के अधीन है।

किसी भी लोकसेवक को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता/विभागीय प्राथमिकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कही पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। स्थानान्तरण राज्य सेवा का एक अभिन्न अंग है और स्थानान्तरण करना नियोक्ता का परमाधिकार है। याचिकार्थी राज्य सेवा में राजपत्रित अधिकारी का पद धारित करते है अतः नियोक्ता द्वारा उन्हे छात्रहित/राज्य हित/प्रशासनिक कारणों से राज्य मे कही पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता है।

याचिकार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि सामरदा, खाजूवाला बीकानेर (211515) में दिनांक–13.04.2023 को कार्यग्रहण कर लिया गया है।

उक्तानुसार याचिकार्थी राजेन्द्र कुमार मेघवाल, व्याख्याता का (रा.वि.) अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/मा/संस्था/सी–6/रा.वि./स्थानान्तरण/2022/ दिनांक : 18.04.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.......................................।
04. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,.......................................।
05. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक ....।
06. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ...।
07. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, बीकानेर/ ....।
08. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
09. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10 ...., व्याख्याता को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर